

पत्रांक:- 221/82 व्यग-अधि0-03/14

दि0-10/02/2014

सेवा में-

सचिव,
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्
पिथूवाला (देहरादून)।

विषय:- लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती के पद पर वैयक्तिक सहायक की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र सं0:-1634/82व्यग-अधि0-11, दिनांक:-24.10.2013 एवं पत्र सं0-10/82व्यग -अधि0-03/13, दिनांक:-04.01.2014 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लो0नि0वि0, में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती के अर्न्तगत 34 पदों पर वैयक्तिक सहायकों की वेतनमान ₹ 5200-20200 ग्रेड वेतन ₹ 2800 नियुक्ति किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0:-1634/82व्यग-अधि0-11, दिनांक:-24.10.2013 (प्रति संलग्न) द्वारा अध्याचन प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में आपके पत्र सं0:-1426-83/ उप्राशिप /स0ग0भ0प0/चयन संस्तुति/2013-2014 दिनांक:-03.08.13 (प्रति संलग्न) द्वारा मात्र 6 वैयक्तिक सहायकों की नियुक्ति किये जाने हेतु प्रेषित की गई चयन सूची पर इस कार्यालय द्वारा 6 वैयक्तिक सहायकों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। प्रकरण पर पुनः इस कार्यालय का पत्र सं0:-10/82व्यग-अधि0-03/13, दिनांक:-04.01.2014 (प्रति संलग्न) द्वारा उक्त अवशेष 28 वैयक्तिक सहायकों की नियुक्ति किये जाने हेतु चयन सूची इस कार्यालय को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति/पुनर्गठन से सृजित रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए (45-28=17) 17 वैयक्तिक सहायक वेतनमान ₹ 5200-20200 ग्रेड वेतन ₹ 2800 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पुनः संशोधित अध्याचन प्रेषित किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि उक्त 28 वैयक्तिक सहायकों की नियुक्ति किये जाने हेतु चयन सूची इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए अवशेष 17 वैयक्तिक सहायकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव कार्मिक उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

भवदीय
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

का नाम- वैयक्तिक सहायक

क्या वह पद सृजित किया गया है, यदि हां, तो यह पद कब सृजित किया गया था- शासनादेश सं०-259/111(1)/12-190 (पी०डब्ल्यू०डी०)/2001टी०सी०-4 दि०-06.07.2012 एवं शासनादेश सं०-2795/111(1)/13-190 (पी०डब्ल्यू०डी०)/2001 दि०-26.12.2013 द्वारा सृजित।

1) श्रेणीवार पदों का विभाजन-

भरे जाने वाले पदों का विवरण	पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण			
		महिला 30%	विकलांग 3%	पूर्व सैनिक 5%	स्वतंत्रता सं०से०आ० 2%
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित जाति	01	-	-	-	-
अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-
अ०पि०वर्ग	01	-	-	-	-
सामान्य वर्ग	15	4	-	1	-
योग	17	4	-	1	-

टिप्पणी:- क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां रोस्टर के अनुसार हैं ? यदि हां, तो रोस्टर के क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय:-

श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
अनुसूचित जाति	46
अन्य पिछड़ा वर्ग	54
सामान्य वर्ग	30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52

(घ) यदि यह पद नया नहीं है, तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है ? शासनादेश सं०-259/111(1)/12-190 (पी०डब्ल्यू०डी०)/2001टी०सी०-4 दि०-06.07.2012 एवं शासनादेश सं०-2795/111(1)/13-190 (पी०डब्ल्यू०डी०)/2001 दि०-26.12.2013 द्वारा सृजित।

(च) 1. क्या पद पर किसी की स्थानापन्न नियुक्ति कर दी गयी है:-जी हां, एक पद पर (सामान्य वर्ग में) स्वीकृत पदों के सापेक्ष एक कार्मिक की इस कार्यालय के ज्ञाप सं०- 1005/9 व्यग-आशुलिपिक-2007-08 दिनांक-29.04.08 द्वारा इस शर्त के अधीन सीनापन्न रूप से नियुक्त किया गया है कि उनकी नियमित आगामी परीक्षा में बैठने व उस पर चुने जाने पर निर्भर होगी।

2. यदि हां, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है:- दिनांक- 29.04.08 से।

3. क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है:- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीनापन्न नियुक्ति।

4. यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थितियां बताई जायें जिसमें सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी:-.....

(छ) क्या उक्त पद आयोग की परिधि के बाहर है:- जी हां।

(ज) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है:-लोक निर्माण विभाग लिपिक/आशुलिपिक अधिष्ठान नियमावली।

(झ) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गयी है।

यदि नहीं, तो उक्त पदों के सृजन विषयक निर्गत शासनादेश/विज्ञप्ति का विवरण बतायें:- शासनादेश सं०-259/111(1)/12-190 (पी०डब्ल्यू०डी०)/2001टी०सी०-4 दि०-06.07.2012 एवं शासनादेश सं०-2795/111(1)/13-190 (पी०डब्ल्यू०डी०)/2001 दि०-26.12.2013 द्वारा सृजित।

कमशः पृष्ठ 2 पर

1. पद राजपत्रित या अराजपत्रित है:-अराजपत्रित।
2. क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है, यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जब तक यह पद कार्य रहेगा:-स्थायी।
3. क्या यह पेंशनयुक्त है अथवा बिना पेंशन का शा0सं0-21/XXVII(7)/अ0पे0यो0/2005 दिनांक-25.10.2005 के अनुसार।
4. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो:- एक वर्ष
5. कर्तव्य:- सम्बन्धित अधिकारी का अभिभाषण का अंकन/टंकण कार्य।
6. चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यग्रहण करना होगा:-नियुक्ति के एक माह के अन्दर।
7. वेतनमान ₹ 5200-20200 ग्रेड-पे ₹ 2800 एवं अन्य भत्ते।
8. निर्वाह निधि:-शा0सं0-21/XXVII(7)/अ0पे0यो0/2005 दिनांक-25.10.2005 के अनुसार।
9. कोई विशेष रियायत जैसे मुफ्त क्वार्टर, विद्युत, पेयजल, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं:-नहीं।
10. अपेक्षित अर्हतायें:-
(क) अनिवार्य अर्हताएं जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं:-मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडियेट या समकक्ष आशुलेखन 80 शब्द तथा टंकण के 25 शब्द प्रति मिनट(डी0ओ0ई0, एस0सी0सी0 सोसाईटी द्वारा संचालित सी0सी0 पाठ्यक्रम)/कम्प्यूटर में 4000KDPH की न्यूनतम गति हो किसी संस्थान व कार्यालय में एक वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। (कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है)।
(ख) अधिमान्य अर्हताएं यदि कोई हों:-
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
(ग) कोई अन्य अर्हताएं:-नहीं।
(घ) यदि उपर्युक्त अर्हताएं किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किस हद तक और किस नियम के अधीन ऐसा किया जा सकता है:-नहीं।
(ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं स्वीकार की जायेंगी, यदि हां, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए- नहीं।
12. आयु सीमायें-
(क) निम्न आयु सीमा:- विज्ञप्ति जारी करन के 01 जुलाई को 18 वर्ष
(ख) उच्च आयु सीमा (यह बताइये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है, तो कितना और किस नियम के अधीन):- 35 वर्ष सामान्य वर्ग हेतु अनु0जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिये 05 वर्ष की छूट एवं विकलांग अभ्यर्थी हेतु 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
13. राष्ट्रीयता:- भारतीय।
14. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं:-यदि हां, तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा, यदि हां तो उन शर्तों (नियमों सहित) को बताइये जो उनके पक्ष में शिथिल की जायेंगी- आयु सीमा के अन्तर्गत।
15. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं आती- नहीं

अध्याचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम.....

निर्माण दिनांक
देहरादून